



10 Rupee Court Fee

74

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र.

1/निगरानी/टीकमगढ़/अ.प्र./1957

परसराम पुत्र भैयालाल, उम्र 82 वर्ष,  
छाया खोती, निवासी ग्राम मुहारा तह.  
जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र. --- आवेदक  
विरुद्ध

महिला हीरा पत्नी श्री रामस्वरूप यादव  
निवासी ग्राम वेरवार तह. जतारा जिला टीकमगढ़

2. म. प्र. शासन --- अनिवेदकगण

निगरानी अर्थात् धारा 50 क, म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आवेदक  
दिनांक 30.5.17 द्वारा पारित राजस्व निरीक्षक मण्डल जतारा  
तह. जतारा जिला टीकमगढ़, प्र.क्र. 10/अ 12/16-17 के निष्पत्ति  
से दुखी होकर।

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- यह कि, अनिवेदिका कुमाक भीरा वाई द्वारा सर्वे नं. 3/519 /2/2,  
3/519/4/2 रकबा कुमवा: 0.340, 0.446 स्थित ग्राम बंरगुडा  
के सम्बंध में सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र कार्यालय राजस्व निरीक्षक  
मण्डल जतारा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा  
प्रकरण दर्ज कर अपने कार्यालय पर ही सीमांकन रिपोर्ट एवं फील्ड बुक  
व पंचनामा अपने कार्यालय पर ही बैठकर तैयार की जिसे जानकारी  
आवेदक को दि. 26-5-17  
आवेदक को दि. 26-5-17 को होने के बाद आवेदक द्वारा आपत्ति पत्र  
प्रस्तुत किया गया कि मुझे इस सीमांकन में न तो पक्षकार बनाया गया  
है न सूचना जारी की गई है इस कारण मेरी आपत्ति पत्र का साध्य

दिनांक 28.6.17 को  
श्री राम स्वरूप यादव  
कावेदक द्वारा प्रस्तुत।

28-6-17

अवेदक कावेदक

28-6-17

Handwritten signature

3

संहिता  
योग्य है

11 जाकर  
हने का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1957

परसराम विरुद्ध महिला हीरा व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकी आदि के हस्ताक्षर
28-05-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री रामसेवक शर्मा अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल जतारा, तहसील जतारा, जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 10/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-05-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला- टीकमगढ़ को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये</p>	<p>(आर.के. जैन) 28/5/19 सदस्य</p>